

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम चकवाडा के खाता सं. 95,94,96,97 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार गणेश चौधरी पुत्र शंकराम जाति जाट शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प PDDUASP ग्राम पंचायत चकवाडा में दिनांक 24-6-25 को मजमेआम में सुनाया गया।



24/6/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी